

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर
पत्रांक:सा0- 392 /मी0क्षे0/33 दिनांक, मीरजापुर, दिनांक, जुलाई 22 2021

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:- जनपद-सोनमढ़ के ओबरा वन प्रभाग अन्तर्गत वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत पटवध से वसुहारी सम्पर्क मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रभावित 45.2925हे0 (ओबरा वन प्रभाग का 34.6725हे0 व कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर का 10.62हे0 कुल 45.2925हे0) वनभूमि पर गैर वानिकी अनुमति के सम्बन्ध में। प्रस्तुत ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/ROAD/59458/2020

संदर्भ:- प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा का पत्रांक -153/ ओबरा / 15- दिनांक 17.07.2021

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा ने अपने कार्यालय के संदर्भित पत्र द्वारा जनपद-सोनमढ़ के ओबरा वन प्रभाग अन्तर्गत वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत पटवध से वसुहारी सम्पर्क मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रभावित 45.2925हे0 (ओबरा वन प्रभाग का 34.6725हे0 व कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर का 10.62हे0 कुल 45.2925हे0) वनभूमि पर गैर वानिकी अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्तुत ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/ROAD/59458/2020 है जिसकी परीक्षणोपरान्त वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रस्ताव 4 प्रतियों में मय सी0डी0 संस्तुति सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः प्रश्नगत प्रस्ताव की इस स्तर से ऑन लाईन सबमिशन कर 3 प्रतियों में संस्तुति सहित एतदसह संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-प्रस्ताव तीन प्रति।

भवदीय

(रमेश चन्द्र झा)

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर

संख्या- 392 अ/समदिनांक

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा को उपरोक्त प्रस्ताव 03 प्रतियों में संलग्नकर इस आशय से प्रेषित है कि प्रश्नगत प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय में प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्यजीव, प्रभाग, मीरजापुर को संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक-प्रस्ताव तीन प्रति।

(रमेश चन्द्र झा)

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर

भाग—iii

(संबन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14- स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा
 संबन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि उल्लेख निरीक्षण रिपोर्ट से
 हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रक्षेपों को, सहमत हैं।
 निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना
 और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

सहमत हैं।

16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन
 संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

संस्तुति लीहट डेबिट।दिनांक—03/07/21स्थान—Kanpur

हस्ताक्षर

नाम—

श.प.सी. 2
 मुख्य वन संरक्षक
 सरकारी मोहर वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र
 उ०प्र० कानपुर

भाग- III

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

जनपद-सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग अन्तर्गत जनपद-सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग अन्तर्गत वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत पटवध से वसुहारी सम्पर्क मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रभावित 45.2925हे0 (ओबरा वन प्रभाग का 34.6725हे0 व कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर का 10.62हे0 कुल 45.2925हे0) वनभूमि पर गैर वानिकी अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्तुत ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या- **FP/UP/ROAD/59458/2020**

14	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गयी है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षेणो को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करे	निरीक्षण दिनांक-07.07.2021 निरीक्षण टिप्पणी संलग्नक है।
15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारशें।	प्रश्नगत प्रस्ताव के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानो एवं तत्सम्बन्धी नियमो के अन्तर्गत सुसंगत होने की दशा में प्रश्नगत वन भूमि नवीनीकरण किये जाने की संस्तुति की जाती है

दिनांक 22-07-2021

स्थान-मीरजापुर

हस्ताक्षर 
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर

नाम

सरकारी मोहर

निरीक्षण टिप्पणी—

जनपद—सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग अन्तर्गत वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत पटवध से वसुहारी सम्पर्क मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में प्रभावित 45.2925हे0 (ओबरा वन प्रभाग का 34.6725हे0 व कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर का 10.62हे0 कुल 45.2925हे0) वनभूमि पर गैर वानिकी अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्तुत ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या— FP/UP/ROAD/59458/2020

दिनांक 07.07.2021 को प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग ओबरा के साथ प्रस्तावित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। प्रस्ताव में उल्लिखित पटवध से वसुहारी सम्पर्क मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर को 10.62हे0 तथा ओबरा वन प्रभाग का 34.6725हे0 कुल 45.2925हे0 वनभूमि प्रभावित हो रहा है। प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर